आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

16.8.2022

नामान्तरण अपील वाद सं0 08/2019–20

रामरूप प्रसाद वगैरह प्रति चाँदनी देवी

आदेश

अभिलेख अन्तिम निस्तारण हेतु उपस्थापित। अपीलार्थीगण के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अंचल अधिकारी, नगर उंटारी के नामांतरण वाद सं0 768/2014–15 में दिनांक 24.03.2015 को पारित आदेश के विरूद्ध नामांतरण अपील वाद दायर किया गया है। अपील आवेदन पत्र के साथ लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के अन्तर्गत विलम्ब माफ करने हेतु आवेदन पत्र दिया गया है। अपील आवेदन पत्र पर विज्ञ अधिवक्ता को सुना। अपील आवेदन पत्र अंगीकृत करते हुए संबंधित पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया तथा निम्न न्यायालय से मूल अभिलेख की मांग की गयी। प्रत्यर्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा उपस्थित होकर अपना प्रत्युतर दाखिल किया गया। अंचल अधिकारी से मूल अभिलेख प्राप्त हुआ है।

अपीलार्थीगण विगत कई तिथि से लगातार अनुपस्थित है। फलतः प्रत्यर्थी के विज्ञ अधिवक्ता को एक पक्षीय सुना।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि:– 01 अंचल अधिकारी, नगर उंटारी के द्वारा ग्राम पिण्डरिया के खाता सं0 01 प्लॉट सं0 324 रकबा 0.32 एकड भूमि का गलत तरीका से प्रत्यर्थी के नाम से नामान्तरण स्वीकृत कर दिया गया है। इस कारण अपीलार्थी यह अपील दायर कर रहे है।

02 वास्तविकता यह है कि भूतपूर्व जमीन्दार रंजीत साव से गुलपति देवी एवं कवलपति साहून ने रकबा 7.99 एकड भूमि बन्दोवस्त कर किए जिसका नामांतरण होकर लगान रसीद कट रही है, तथा उसी प्लॉट में अपीलार्थी के पिता ने केवाला द्वारा प्लॉट सं0 324 में रकबा 33 डी0 खरीद किए मनदीप साव अपीलार्थी के पिता की बंशावली निम्न प्रकार है :–

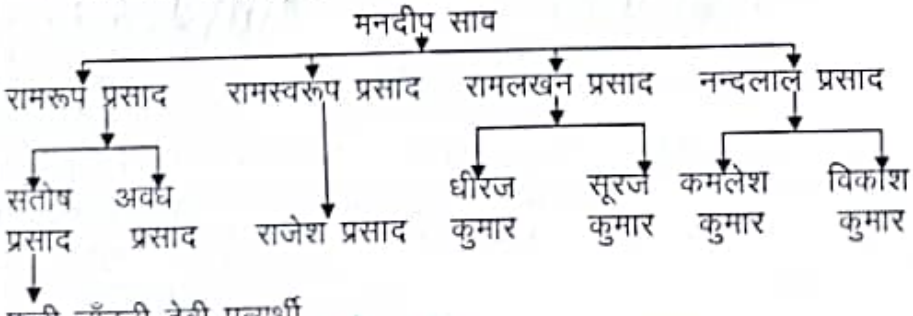

लगातार .....

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

03 रकबा 0.33 एकड में 04 हिस्सेदार को रकबा 0.08¼एकड ही भूमि हिस्सा होता है उसमें भी रामरूप प्रसाद के दो लडके हुए दोनों को 0.04 1/8 एकड हिस्सा होता है लेकिन प्रत्यर्थी के द्वारा अंचल अधिकारी, अंचल निरीक्षक, हल्का कर्मचारी को मेल में लाकर रकबा 0.32 एकड़ भूमि का संतोष प्रसाद ने अपनी पत्नी को केवाला कर गलत ढंग से नामांतरण कर दिए है।

04 अंचल अधिकारी रकबा 0.04 1/8एकड़ भूमि के जगह रकबा 0.32 एकड़ भूमि की जो इनके प्रत्यर्थी के हक में नहीं है नामांतरण कर दिए तथा आम इस्तेहार का तामिला भी नहीं कराया गया केवल इस्तेहार पर गलत हस्ताक्षर बनाया हुआ है, इस पर किसी भी अनुसेवक का हस्ताक्षर नहीं है। अभिलेख में आम इस्तेहार के तामिला के लिए कोई तिथि अंकित नहीं है स्थान खाली है। जॉच प्रतिवेदन में हल्का कर्मचारी अंचल निरीक्षक का कोई मंतव्य नहीं है इस आधार पर अंचल अधिकारी का आदेश खारिज योग्य है।

अपीलार्थी के द्वारा अंचल अधिकारी नगर उंटारी के नामान्तरण वाद सं0 768/2014–15 में दिनांक 24.03.2015 ई0 को पारित आदेश को खारिज करने का अनुरोध किया है।

प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि:– 01 यह अपील ज्ञापन जिस प्रकार से तैयार की गई है वह पोषणीय नहीं है एवं अपील वाद खारिज करने योग्य है।

02 पूर्णतः काल बाधित है एवं अपीलार्थी ने अपील का विलम्ब से दाखिल करने का कोई भी समुचित आधार अगले आवेदन पत्र में उल्लेखित नहीं किया गया है। अपील वाद आवश्यक पक्षकार के अभाव में खारिज योग्य है। अपीलार्थी को यह अपील दाखिल करने का कोई वैधानिक हक नहीं हैं।

03 नामान्तरण वाद सं0 768/2014–15 में दिनांक 24.03.2015 ई0 को विद्वान अंचल अधिकारी नगर उंटारी के पारित आदेश के विरूद्व दिनांक 22.09.2018 ई0 में जो अपील ज्ञापन दाखिल किया गया है जो नामांतरण अपील दाखिल करने की निर्धारित काल अवधि से बहुत ज्यादा विलम्ब से है

04 अपलार्थी के अपील ज्ञापन के पारा नं0 1 का कथन गलत है। वास्तविकता यह है कि विद्वान अंचल अधिकारी नगर उंटारी पूरी नामांतरण की प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रत्यर्थी के पक्ष में प्रश्नगत भूमि का नामांतरण स्वीकृत किया है। अतः विद्वान अंचल अधिकारी नगर उंटारी द्वारा पारित आदेश विधि सम्वत है। इसमें किसी भी प्रकार के बदलाव की आवश्यकता नहीं है।

लगातार .....

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

05 अपील ज्ञापन के पेज नं0 1 में ग्राम पिण्डरिया के खाता सं0 1 प्लॉट सं0 324 रकबा 0.32 डी0 के दाखिल खारिज गलत तरिके से करने की जो बात लिखी गई है वह गलत है, जबकि उक्त खाता प्लॉट की नामांतरण जिस प्रत्यर्थी के नाम से की गई है वह सही है।

06 अपीलार्थी के अपील ज्ञापन के पारा नं0 2 में जो बंशावली दी गई है वह सही है। अपील ज्ञापन के पारा नं0 3 में हिस्से के अनुसार हिस्सेदारों का जो रकबा निर्धारित किया गया है गलत है एवं अपीलार्थी ने उक्त पारा में आदेश का जानकारी होने का तथ्य जो लाया है वह गलत है ताकि अपीलार्थी को निम्न न्यायालय के अभिलेख की जानकारी थी एवं जिस तिथि को आदेश पारित हुआ उस तिथि की भी जानकारी अपीलार्थी को था। विलम्ब को दूर करने हेतु अपीलार्थीगण ने जो कारण बताया है वह सही नहीं है एवं यह अपील पूर्णतः कालबाधित है।

07 अपीलार्थी ने अपील दायर करने का जो भी आधार बनाया है वह पूर्णतः गलत है। अपीलार्थी के आधार क ख ग घ में वर्णित तथ्य पूर्णतः आधारहीन है जिसकी पुष्टी निम्न न्यायालय के अभिलेख से स्वतः स्पष्ट हो जाती है।

08 अपील ख के अध्याय ग का जो तथ्य लाया है उस तथ्य का निर्धारण हेतु विद्वान अंचल अधिकारी सक्षम पदाधिकारी नहीं थे, उसका निर्धारण स्वत्व वाद से आधारित है अतः अपील वाद का सत्य नहीं माना जा सकता है।

09 अपील आधार सं0 घ का वर्णित तथ्य गलत है। क्योंकि निम्न न्यायालय के अभिलेख में हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन अभिलेख में आम इस्तेहार एवं उसका तामिला की प्रति भी संलग्न है।

10 विद्वान अंचल अधिकारी ने निम्न न्यायालय में जो भी आदेश पारित किया है वह नामांतरण की पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए किया है जो सही है। निम्न न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार का त्रुटि नहीं है अतः निम्न न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है।

प्रत्यर्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अपीलार्थी के आवेदन पत्र को खारिज करने का अनुरोध किया गया है। प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा निम्न प्रकार के कागजात दाखिल किये है।

01 खतियान की छायाप्रति ..... 3 फर्द
02 बंटवारानामा की छायाप्रति ..... 1 फर्द
03 केवाला सं0 356 की छायाप्रति ..... 12 फर्द
04 लगान रसीद की छायाप्रति ..... 2 फर्द

लगातार .....

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

अपीलार्थीगण विगत कई तिथि से लगातार अनुपस्थित है। फलतः प्रत्यर्थी के विज्ञ अधिवक्ता को एक पक्षीय सुना तथा अपीलार्थीगण के द्वारा दाखिल नामांतरण अपील आवेदन पत्र एवं प्रत्यर्थी का प्रत्युतर तथा अंचल अधिकारी नगर उंटारी के द्वारा प्राप्त मूल अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकनोंपरान्त पाया कि अपीलार्थीगण के द्वारा प्रश्नगत् भूमि के साथ साथ अन्य खाता प्लॉट की भूमि को अपने दोनों पुत्र संतोष प्रसाद तथा अवध प्रसाद को बँटवारा कर चुके है। जिसमें प्रश्नगत् भूमि संतोष प्रसाद को प्राप्त हुआ है। संतोष प्रसाद के द्वारा ग्राम पिण्डरिया के खाता संख्या 01 प्लॉट संख्या 324 कुल रकबा 0.32 एकड भूमि को प्रत्यर्थी चाँदनी देवी से केवाला संख्या 2005 दिनांक 27.10.2014 के द्वारा विक्रय किया गया है। अंचल अधिकारी नगर उंटारी के द्वारा नामान्तरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर तथा प्रश्नगत भूमि पर क्रेता का दखल कब्जा रहने से संबंधित प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान किया गया है।

अपीलार्थीगण के द्वारा ऐसा कोई भी साक्ष्य/तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कि नामांतरण वाद में पारित आदेश को हस्तक्षेप किया जाय।

अतः उक्त तथ्य के आलोक में अपीलार्थीगण के द्वारा दाखिल नामांतरण अपील आवेदन पत्र को अस्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी नगर उंटारी के नामांतरण वाद सं0 768/2014–15 में दिनांक 24.03.2015 ई0 को पारित आदेश को यथावत बहाल रखा जाता है।

इस आशय के साथ इस वाद की कार्रवाई समाप्त किया जाता है।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी नगर उंटारी को अनुपालन हेतु भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

16/03/15

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
श्री बंशीधर नगर।

16/03/15

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
श्री बंशीधर नगर।

Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2023.03.10 15:10:09 +05:30
Location: 192.168.1.35

Scanned with CamScanner